न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट
R1097–II–17

रीवा (म0प्र0)

(30)

सीताबाई कुशवाहा पत्नी वृजलाल कुशवाहा, साकिन रीवा रोड़ अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

——————निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

राजेश बढ़ई तनय रामसुजान बढ़ई, साकिन पुरानी बस्ती अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

द्वारा आज दि. 06.04.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.4.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 विरूद्ध निर्णय राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला सतना प्रकरण क्रमांक–26–अ–12/2015–16 आदेश दिनांक 23/05/2016 वावत् किये जाने सीमांकन आराजी नम्बर–240/1/ख/1 रकवा 0.004 हे0 स्थित मौजा उपरहटी मथुरियान, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :–

1– यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन द्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक–26–अ–12/2015–16 आदेश दिनांक 23/05/16 विधि प्रकिया तथा तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मूल आराजी नम्बर–240 के कायम उपखण्ड क्रमांक–240/1/ख/3 रकवा 0.004 हे0 के भूमिस्वामी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1097-दो/17 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 26/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	